

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/4123

दिनांक 03/12/2025

उपवानी प्रकरण पीपसिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या-260 /2025

:- दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयान्विता लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक
10 /भूअ./2025 दिनांक 02/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम नाई पटवारी हल्का हरदासकाबा
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में मुझे खाता संख्या 95,107,2 में खातेदार पेमासिंह पेमासिंह
पुत्र सवरसिंह के स्थान पर पीपसिंह 3फे पेमासिंह भवसिंह का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का हरदासकाबा
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 03/12/2025

कमांक/रीडर/2025/4124-25
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का हरदासकाबा तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिता कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)



